कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–बी–4, तृतीय तल, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

क्रमांक 5797 / त.शा. / 410 / लो.स्वा.यां.वि. / 2015 नया, रायपुर दिनांक 14-7-15

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विषयः राज्यमद की नलजल / समूह जल प्रदाय योजनाओं के रूपाकंन अवधि बाबत्।

***

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. (शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी जल प्रदाय एवं अनुशोधन मैन्युअल के पैरा की कण्डिका 2.2.6 अनुसार जल प्रदाय परियोजनायें सामान्यतः 30 वर्षों की जल प्रदाय आवश्यकताओं के लिए रूपाकिंत किये जाने निर्देश है एवं परियोजना के विभिन्न अवयवों की रूपाकिंत अवधि जैसे कि पम्पिंग, वाटर ट्रीटमेंन्ट यूनिट्स, पाइप लाइन, इत्यादि के लिए 30 वर्ष या 15 वर्ष, **संलग्न परिशिष्ट अ** अनुसार दिया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक F No. W-11011/01/2012-W-I दिनांक 20.02.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजना (NRDWP) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना पत्रक तैयार करने मैन्युअल जारी किया गया है। इस मैन्युअल की कण्डिका 1.2(12) में कुल जल की मांग को योजना की पूर्णता के पश्चात 10 , 20 एवं 30 वर्षो में विभक्त किया गया है तथा कण्डिका (3) में 10, 20 एवं 30 वर्षो में परियोजना के विभिन्न अवयवों को रूपाकिंत करने निर्देश है **(संलग्न परिशिष्ट ब)**।

प्रदेश में राज्य मद में समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति एवं कियान्वयन किया जा रहा है। CPHEEO एवं NRDWP के उपरोक्त प्रवधानों के कारण मैदानी कार्यालय में भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। कुछ जिलों से योजनाओं को 20 वर्ष के लिए रूपाकिंत किया जा रहा है तो कुछ जिले में 30 वर्षो के लिए । चूंकि समूह नलजल योजनाओं के हेड वर्क का संचालन संधारण विभाग के द्वारा किया जाना है, शासन स्तर पर उपसचिव (तकनीकी) द्वारा चर्चा में अवगत कराया गया है कि राज्य मद से कियान्वित योजनाओं का रूपाकंन CPHEEO मैन्युअल के अनुसार किया जाना उचित होगा।

अतः प्रदेश में एक–रूपता रहे इसके लिए CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार राज्य मद अथवा नाबार्ड मद में प्रस्तावित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाओं को रूपाकिंत किया जाना प्रस्तावित है। कृपया इस हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना चाहेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

13.7.15
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर